संख्या-37/2024/3944/22-2-2023-17(1275)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 अप्रैल, 2024

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी वर्तमान जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32475/प्रोबे0-5/दयायाचिका/बैठक-19-10-2023 दिनांक 02.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी राम सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, आनन्दपुर, थाना-बनबासा, जनपद-चम्पावत राज्य उत्तराखण्ड वर्तमान पता-1/43 भूसा मण्डी फतेहगढ़, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बंदी का पत्नी की मौसी की लड़की के साथ अवैध सम्बन्ध होने के कारण दिनांक 18.04.1999 को अपनी पत्नी की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-246/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 01.12.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.05.2023 तक 12 वर्ष 10 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 07 माह 08 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद ने बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित होने, अपराध की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र 60 वर्ष होने, बन्दी द्वारा दिनांक 02.05.2023 तक अपरिहार 12 वर्ष 10 माह 03 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष 07 माह 08 दिन की सजा भोगे जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम सिंह (बन्दी संख्या-26717) पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-37/2024/3944(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-116/2023 राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2023 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।